

4252



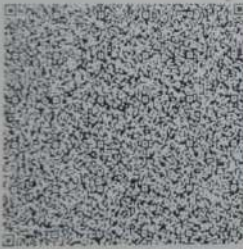
सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP03465944357288P
 Certificate Issued Date : 24-Jul-2017 11:52 AM
 Account Reference : NONACC (BK)/ upcbibk02/ MUZAFFARNAGAR2/ UP-MJF
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPCBIBK0204159129134901P
 Purchased by : NAMASTE AIRPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : AGRICULTURE LAND AT VILL-HUSSAINPUR BOPARA, TESHIL-KHATAULI, KHASRA NO-1795-1793, MUZAFFARNAGAR
 Consideration Price (Rs.) : 72,50,000
 (Seventy Two Lakh Fifty Thousand only)
 First Party : DHARAMPAL SO KABOOL
 Second Party : NAMASTE AIRPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
 Stamp Duty Paid By : NAMASTE AIRPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,00,000
 (Four Lakh only)



Please write or type below this line.

15/20
90000
तमामयोजन
नदी दुर्गा

0006056463

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shastri.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as provided on the website renders it invalid.
- The stamp duty should be paid to the Government of Uttar Pradesh, at the time of purchase of the document.
- The stamp duty should be paid to the Government of Uttar Pradesh, at the time of purchase of the document.

0006056463



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 267605



कार्यालय-उपनिबन्धक खतौली

विक्रय पत्र (कृषि भूमि)

(विक्रित सम्पत्ति मु0नगर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती है)

बैनामा 72,50,000/-रूपये,

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. सम्पत्ति का प्रकार | - कृषि भूमि |
| 2. वार्ड/परगना | - परगना खतौली |
| 3. मौहल्ला/ग्राम/सैगमेन्ट | - हुसैनपुर बोपाडा |
| 4. क्षेत्र-ग्रामीण/नगरीय/अर्द्धनगरीय | - अर्द्धनगरीय क्षेत्र |
| 5. सम्पत्ति का विवरण | - खसरा नम्बर 1795 व 1793 |
| 6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - 0.3147 हैक्टेयर |

.....
धर्मपाल

क्रमशः

.....
[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 267606

(3)

7. सम्पत्ति की स्थिति (मार्ग/सैगमेन्ट) का नाम - कोई नहीं
8. कार्नाम/दो/एक रास्ते का नाम - कोई नहीं
9. निकटतम मार्ग का नाम व दूरी - खासरा नम्बर 1795 राजमार्ग नम्बर-58(नया राजमार्ग नम्बर-334) पर स्थित तथा खसरा नम्बर 1793 राजमार्ग नम्बर-58 से करीब 200 मीटर।
- 10.(क) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल भूतल - कोई नहीं
(ख) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल प्रथम तल - कोई नहीं
(ग) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल द्वितीय तल - कोई नहीं
11. निर्माण का प्रकार/श्रेणी - कोई नहीं
12. पेखों का मूल्यांकन - कोई नहीं
13. बोरिंग व अन्य - 15,000/- रुपये
14. निर्माण का वर्ष - कोई नहीं
15. प्रविफल/बाजार मूल्य - 72,50,000/- रुपये
16. दिया गया स्टाम्प शुल्क - 4,17,600/- रुपये
17. स्टाम्प देयता की गणना हेतु प्रयुक्त दर - 1,90,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर
18. रेट लिस्ट का क्रमांक, पृष्ठ, कोड, कॉलम - 19 प्रारूप 4 (क) वी कोड 0086
19. चौदहदी/सीमांकन - कोई नहीं

क्रमशः

वसुधा

Agatha





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 824328

(4)

20. प्रथम पक्ष की संख्या व मोबाईल नम्बर - एक, 8218647954
21. द्वितीय पक्ष की संख्या व मोबाईल नम्बर - एक, 09818488090
22. सम्पत्ति तक पहुँचने का रूट चार्ट - संलग्न है
23. लेखपत्र के साथ संलग्न - खसरा खतौनी
24. अनुसूचित जाति का सदस्य - विक्रेता है जिसके सम्बन्ध में विक्रेता पक्ष ने अपनी इस भूमि को अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने हेतु अनुमति न्यायालय अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व), मुजफ्फरनगर में योजित वाद संख्या डी2017095501742 (01/2017) धर्मपाल बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 98 राजस्व संहिता 2006 मौजा हुसैनपुर बोपाड़ा में पारित आदेश दिनांक 19/07/2017 ई0 के द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

हम कि धर्मपाल पुत्र श्री कबूल जाति चमार (पैन कार्ड संख्या CLIPD1640L) निवासी ग्राम खानपुर परगना खतौली तहसील खतौली जिला मुजफ्फरनगर

क्रमशः

धर्मपाल

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 824329

(5)

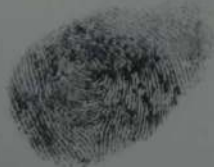
प्रथम पक्ष/विक्रेता एवं नमस्ते एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पैन कार्ड संख्या AACCN9672Q) रजिस्टर्ड ऑफिस 124, प्रथम तल, बैनितो जुवारेज मार्ग, वेन्कटेश्वरा कॉलेज के सामने, सत्य निकेतन मार्केट नई दिल्ली-21 द्वारा डायरेक्टर अरविन्द राठी पुत्र श्री सुरेन्द्रपाल राठी निवासी 1245, सैक्टर-ए, पॉकेट-बी, वसन्तकुंज नई दिल्ली द्वितीय पक्ष/क्रेता है तथा पक्षकारों का स्थाई एवं पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त ही है।

विदित हो कि प्रथम पक्ष इस आलेख के अन्त में दर्शायी गई सम्पत्ति (कृषि भूमि) स्थित ग्राम हुसैनपुर बोपाड़ा परगना खतौली तहसील खतौली जिला मुजफ्फरनगर का काश्तकार संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है जिसमें प्रथम पक्ष के अलावा अन्य कोई भागीदार अथवा स्वामी नहीं है। प्रथम पक्ष को यह सम्पत्ति द्वारा विरासत प्राप्त है। चूंकि प्रथम पक्ष अपनी इस निम्नलिखित सम्पत्ति को अपनी आवश्यकतानुसार विक्रय करना चाहता था और जब इसकी जानकारी द्वितीय पक्ष को हुई तब द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के समक्ष जाकर प्रथम पक्ष की इस निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने पक्ष में खरीदने की इच्छा व्यक्त की और तत्पश्चात् पक्षकारों के मध्य हुए परस्पर सौदे के अनुसार इस निम्नलिखित सम्पत्ति का मूल्य अंकन 45,00,000/- पैंतालीस लाख रुपये निश्चित कर लिया गया जोकि वर्तमान बाजार भाव तथा सम्पत्ति की स्थिति को देखते हुए इसका उचित

क्रमशः

सतीश

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 824331

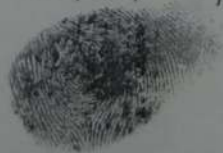
(7)

पक्ष निम्नलिखित कृषि भूमि को लेकर किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता था इसलिए द्वितीय पक्ष ने निम्नलिखित कृषि भूमि को अंकन 72,50,000/- बहात्तर लाख पचास हजार रुपये में क्रय करना स्वीकार कर लिया है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हैं इसलिए आज प्रथम पक्ष अपनी इस निम्नलिखित सम्पत्ति का बैनामा बहक द्वितीय पक्ष निष्पादित कर रहा हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नहीं है। अतः आज प्रथम पक्ष ने अपनी इस निम्नलिखित सम्पत्ति को स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिस्क की दशाओं में होते हुए अंकन 72,50,000/- बहात्तर लाख पचास हजार रुपये, आधे जिसके अंकन 36,25,000/- छत्तीस लाख पच्चीस हजार रुपये होते हैं, मूल्य में बहक उपरोक्त क्रेता नमस्ते एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 124, प्रथम तल, बैनियो जुवारेज मार्ग, वेन्कटेश्वरा कॉलेज के सामने सत्य निकेतन मार्किट नई दिल्ली-21 द्वारा डायरेक्टर अरविन्द राठी पुत्र श्री सुरेन्द्रपाल राठी निवासी 1245, सैक्टर-ए, पॉकेट-बी, वसन्तकुंज नई दिल्ली द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दी तथा कुल विक्रय मूल्य की प्राप्ति विक्रेता प्रथम पक्ष ने उपरोक्त क्रेता द्वितीय पक्ष से इस भांति कि अंकन 10,00,000/- दस लाख रुपये समय इकरारनामा दिनांक 26/08/2016 ई0 तथा शेष अंकन 62,50,000/- बासठ लाख पचास हजार रुपये इस भांति कि अंकन 5,00,000/- पांच लाख रुपये

क्रमशः

ए.पी.एम.

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 824332

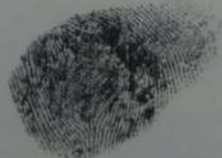
(8)

द्वारा रेफरेन्स आईडी नम्बर 75974465 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्सूरपुर दिनांकित 17/10/2016 ई० तथा अंकन 10,00,000/- दस लाख रूपये द्वारा चेक नम्बर 655400 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्सूरपुर दिनांकित 28/06/2017 ई० तथा शेष अंकन 47,50,000/- सैंतालीस लाख पचास हजार रूपये द्वारा दो चेक नम्बर क्रमशः 094642 व 094643 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्सूरपुर दिनांकित 24/07/2017 ई० लेकर कर ली गई, वसूल पाया तथा कुछ शेष नहीं रहा तथा विक्रय की गई इस निम्नलिखित सम्पत्ति से विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपना कुल कब्जा व दखल हटाकर उपरोक्त क्रेता द्वितीय पक्ष का मिस्ल अपनी ही भांति मौके पर करा दिया है जो मौके पर क्रेता द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। यदि कभी या किसी भी समय में विक्रय सम्पत्ति या इसका कोई भी अंश किसी भी दोष विक्रेता या उसके वारसान के कारण निकल जाये या कब्जे में न आये तब ऐसी दशा में क्रेता नमस्ते एयरपोर्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 124, प्रथम तल, बैनियो जुवारेज मार्ग, वेन्कटेशवरा कॉलेज के सामने सत्य निकेतन मार्किट नई दिल्ली-21 के डायरेक्टर अरविन्द राठी को अधिकार होगा कि वह अपना कुल रोकड़ा मय सूद जाब्ता व दीगर खर्चे सहित, जैसे- स्टाम्प फीस व बैंक ब्याज आदि, प्रथम पक्ष से वापस वसूल कर लेवे। यदि भविष्य में निम्नलिखित सम्पत्ति की बाबत कोई मुआवजा आदि मिलता है तो उसको लेने के हकदार

क्रमशः

सत्यमेव जयते

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 824333

(9)

द्वितीय पक्ष होंगे ऐसे किसी भी मुआवजे से प्रथम पक्ष का कोई मतलब वास्ता किसी प्रकार का नहीं होगा तथा किसी कारणवश किसी विभाग से यदि कोई मुआवजे सम्बन्धी धनराशि प्रथम पक्ष के नाम आती है तो प्रथम पक्ष उस धनराशि को द्वितीय पक्ष को अदा करने के लिए बाध्य रहेगा। विक्रेता व क्रेता घोषणा करते हैं कि आलेख पर धारा-27 के अन्तर्गत प्रतिफल और अन्य सब तथ्य और परिस्थितियाँ, जो विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता, या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि को प्रभावित करते हों, उसमें संपूर्णतया और सत्यतापूर्वक व्यक्त कर दिये गये हैं। विलेख में वर्णित सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार के ऋण के अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी। अस्तु यह आलेख विक्रय पत्र लिख दिया गया कि सन १९८० हो और समय पर काम आवेइति:

विवरण भूमि स्थित ग्राम हुसैनपुर बोपाड़ा परगना खतौली तहसील खतौली जिला मुजफ्फरनगर:-

खाता संख्या 00587 खसरा नम्बर 1795मि0 रकबा 0.2770 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1795मि0 रकबा 0.0820 हैक्टेयर कुल दो किते रकबा 0.3590 हैक्टेयर लगान 12.25 रुपये का कुल हक व हिस्सा 1/2 भाग तथा खाता संख्या 00645 खसरा नम्बर 1795मि0 रकबा 0.2360 हैक्टेयर लगान 8.80 रुपये का कुल हक व हिस्सा 1/2 भाग तथा खाता संख्या 00110 खसरा नम्बर 1793 रकबा 0.2070 हैक्टेयर

क्रमशः

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 824334

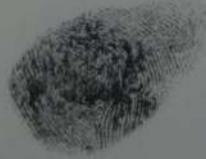
(10)

लगान 10.60 रुपये का कुल हक व हिस्सा 1/12 भाग। खसरा नम्बर 1795 व 1793 में से खसरा नम्बर 1795 कार्यालय उपनिबन्धक खतौली में उपलब्ध खसरा नम्बरान की सूची में राजमार्ग नम्बर-58 (नया राजमार्ग नम्बर-334) पर स्थित होना दर्शाया हुआ है तथा खसरा नम्बर 1793 किसी भी मार्ग पर या किसी भी मार्ग की 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित होना नहीं दर्शाया हुआ है लेकिन खसरा नम्बरान 1795 व 1793 आपस में मिले हुए हैं इस कारण विक्रित भूमि राजमार्ग नम्बर-58 (नया राजमार्ग नम्बर-334) पर स्थित होने के कारण खसरा नम्बरान 1795 व 1793 के विक्रित क्षेत्रफल 0.31475 हैक्टेयर में से प्रथम 0.0500 हैक्टेयर की सरकारी दर 4,200/- रुपये प्रति वर्गमीटर (मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देश के क्रमांक 20 की श्रेणी-1 के अनुसार) से कीमत 21,00,000/- रुपये + 0.0500 हैक्टेयर से अधिक किन्तु 0.1000 हैक्टेयर की सरकारी दर 2,100/- रुपये प्रति वर्गमीटर (मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देश के क्रमांक 20 की श्रेणी-2 के अनुसार) से कीमत 10,50,000/- रुपये + शेष 0.21475 हैक्टेयर की सरकारी दर 1,90,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर से कीमत 40,80,250/- रुपये + खसरा नम्बर 1795 में स्थित एक बोरिंग 4 इंची जिस पर कोई निर्माण किसी प्रकार का नहीं है और जो वर्तमान में खराब है जिसकी सरकारी दर 30,000/- रुपये की हिस्सेनुसार कीमत 15,000/- रुपये इस प्रकार कुल मालियत 72,45,250/- रुपये परन्तु क्रेता द्वारा यह भूमि अंकन 72,50,000/- रुपये में क्रय की जा रही है इस कारण भविष्य में किसी भी स्टाम्प

क्रमशः

राजपाल

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 061423

(11)

सम्बन्धी वाद विवाद से बचने के लिए आलेख पर स्टाम्प क्रय कीमत पर अदा किया गया है। विक्रित भूमि में कोई पेड़ नहीं है। विक्रित भूमि आबादी से सटी हुई भूमि नहीं है। विक्रित खसरा नम्बर व उसके आस-पास के खसरा नम्बरान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित नहीं है। विक्रित भूमि से सम्बन्धित एक आलेख इकरारनामा बैय दिनांक 26/08/2016 ई0 को कार्यालय उपनिबन्धक खतौली में पुस्तक संख्या 1 खण्ड 2260 के पृष्ठ 323-350 क्रमांक 5253 पर दर्ज है, पर अंकन 90,100/- रुपये का स्टाम्प अग्रिम दे दिया गया था तथा शेष अंकन 4,17,600/- रुपये का स्टाम्प इस आलेख विक्रय पत्र में देते हुए कुल स्टाम्प मूल्य अंकन 5,07,700/- रुपये की पूर्ति कर दी गयी है। फोटो मिलाये गये।

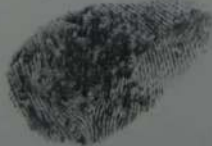
घोषणा/प्रमाणक

“हम उभय पक्ष क्रेता व विक्रेता इस लेखपत्र के निष्पादनकर्ता व गवाह शपथपूर्वक घोषित करते हैं कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का पूर्णरूपेण अनुपालन किया

क्रमशः

.....
[Signature]

.....
[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

गया है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।”

DM 803352



मनीष कुमार

दस्तावेज लेखक

सहायक न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

समजाया

Asif Siddiqui



साक्षी

शहीद
ग. धर्मधारा

साक्षी

Asif Siddiqui

ASIF SIDDIQUI
S/O MOHD. NAZIM
MOHALLA QAZIYAN
KHATAULI, MUZAFFARNAGAR

म. 24/7/2017

लेखतिथि:- 24/07/2017 5 ई 0

साक्षी - मे. क. फुलली

पली धर्मधारा

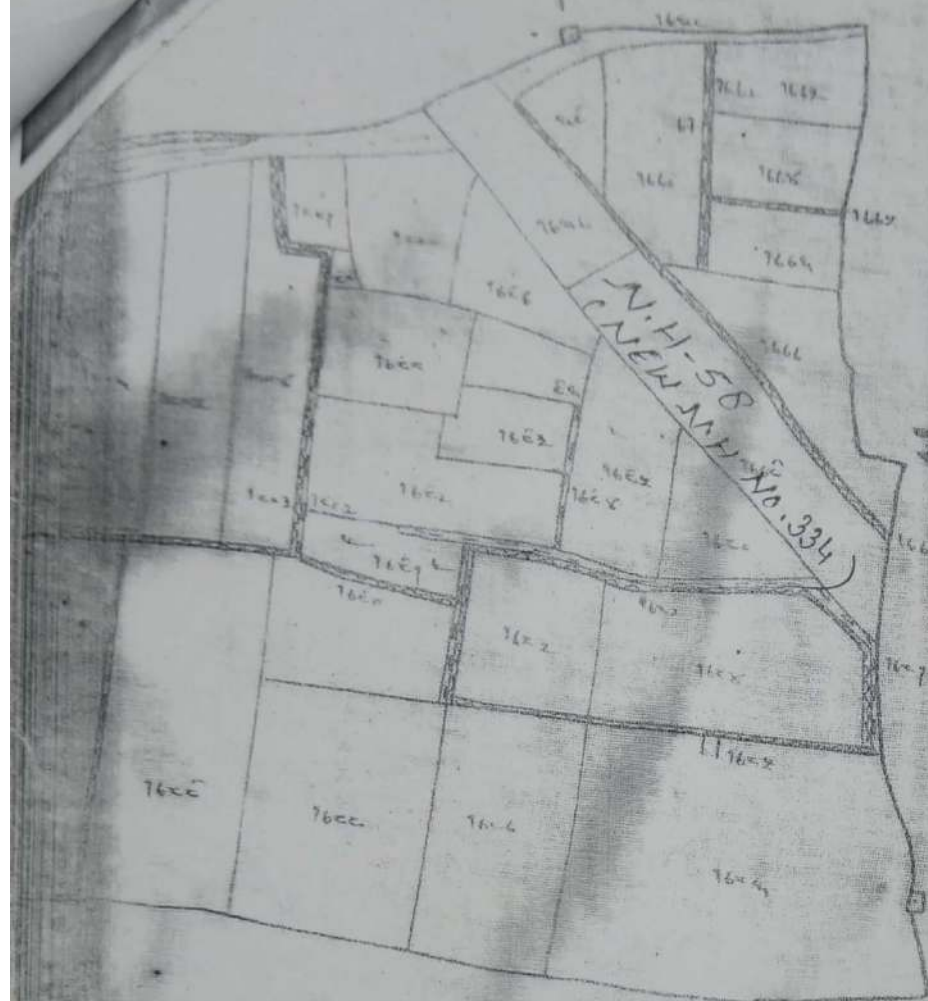
मि. ख. फुलली



दस्तावेज लेखक का नाम- मनीष कुमार अनुज्ञापित सं०:-05 दिनांक 31/03/2018 तक विधिमान्य जिला और स्थान:- तहसील खतौली जिला मुजफ्फरनगर ली गई फीस 11500/- दालो के हस्ताक्षर:-

दस्तावेज संख्या बाबर
संख्या नंबर 1793 व 1795
सिवाजी महाराज कोषा

सोमा ग्राम जहांगीर



समिति

[Signature]



सोमा ग्राम अकबरपुर

[Signature]
सिवाजी महाराज कोषा

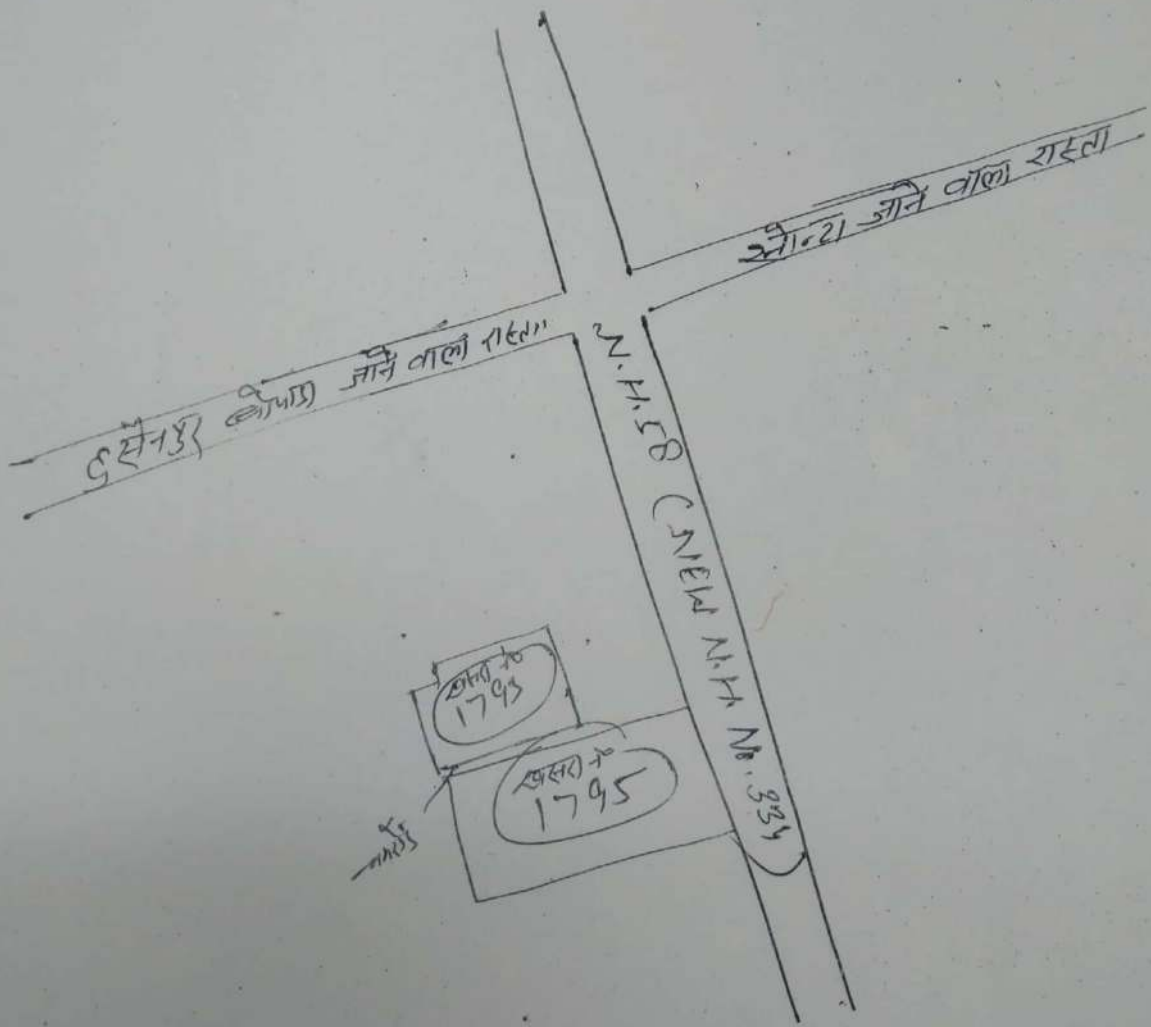
[Signature]

रुट चार्ट

नाम विकेता- श्री/श्रीमति ~~वर्षा~~ ६६

नाम केता- श्री/श्रीमति ~~वि~~ ६६

विवरण सम्पत्ति- कृषि २१०००००० (६६००००००००)



सम्पत्ति

A. J. Singh

क्र.सं. 22 JUL 2017
प्राप्त की तिथि
शासक

अर्पित कुल प्राम्बिक
सदस्य (मुख्य) ल. सं. 33
अध्यक्ष की प्रतिलिपि

आज दिनांक 24/07/2017 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 2536
पृष्ठ सं. 145 से 182 पर क्रमांक 4252
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार सक्सेना

उप - निबन्धक

खतौली

24/7/2017